

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 24/2024

पंजीकरण सं. :- 2024/113

बउनवान

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना अटरू जरिये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारों
(सायल)

बनाम

सुरेन्द्र पुत्र प्रभूलाल तेली निवासी हाट चौक, अटरू थाना अटरू जिला बारों (राज.)

(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा-3

उपस्थिति :- 1- अभियोजन अधिकारी

(सायल)

2- श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक

(गैरसायल)

निर्णय दिनांक 30.09.2024

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल सुरेन्द्र पुत्र प्रभूलाल तेली निवासी हाट चौक, अटरू जिला बारों के विरुद्ध जिला पुलिस अधीक्षक, बारों द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना अटरू ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारों को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना अटरू क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। गैरसायल जुआ एक्ट के अपराधों का आदि है। इसके विरुद्ध पुलिस थाना अटरू में वर्ष 2018 से वर्ष 2024 तक कुल 08 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुए हैं। उक्त प्रकरणों में से कुल 06 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियाँ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल कुल 06 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरुद्ध अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा-3 के तहत कार्यवाही की जावे। इस्तगासा विरुद्ध गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 03.07.2024 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया। गैरसायल द्वारा मय अभिभाषक उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। प्रकरण में गैरसायल द्वारा मय अभिभाषक के जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया जाकर, उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना अटरू में वर्ष 2018 से वर्ष 2024 तक कुल 08 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुए हैं। उक्त प्रकरणों में से कुल 06 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियाँ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे। गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासे में न्यायालय निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न है।

इसके विपरीत गैरसायल के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के कथनों को दोहराते हुये कथन किया गया कि गैरसायल एक शांतिप्रिय व्यक्ति है। प्रकरण मे थाना अटरू के थानाधिकारी द्वारा गैरसायल के विरुद्ध जानबूझकर बढा चढाते हुये कथन कर गैरसायल को परेशान करने की गरज से उक्त इस्तगासा प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल के विरुद्ध थानाधिकारी थाना अटरू ने जो केस व प्रकरण दर्ज होना बताया है वह मात्र 13 आरपीजीओ के है जिनमें लोक अदालत की भावना से अधिवक्ता के कहने पर जुर्म स्वीकार किया है। आई.पी.सी./बी.एन.एस. का कोई प्रकरण गैरसायल के खिलाफ दर्ज नहीं है। गैरसायल मेहनत मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उक्त प्रकरण मे थानाधिकारी अटरू द्वारा गैरसायल के विरुद्ध रिकार्ड मे बताये गये प्रकरण संक्षिप्त विचारण की प्रकृति के है तथा उक्त प्रकरणो मे जन-मानस के विरुद्ध गैरसायल द्वारा कोई न्यूसेस कारित नही किया गया है। उक्त प्रकरण मात्र 13 आर.पी.जी.ओ. के है। इस प्रकार थानाधिकारी द्वारा दर्शाये गये प्रकरण बढा चढाकर कथन करते हुये उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय मे पेश किया गया है। गैरसायल के विरुद्ध जैरकार इस्तगासा निरस्त फरमाने की कृपा करे।

प्रकरण मे अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल के अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना अटरू में वर्ष 2018 से वर्ष 2024 तक कुल 08 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुए है। उक्त प्रकरणो मे से कुल 06 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि सुरेन्द्र पुत्र प्रभूलाल तेली निवासी हाट चौक, अटरू जिला बारां द्वारा उक्त अपराध किए गए है जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2(आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्ध है क्योंकि धारा 2(आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को कुल 06 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल सुरेन्द्र पुत्र प्रभूलाल तेली निवासी हाट चौक, अटरू जिला बारां को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र, अटरू से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल सुरेन्द्र पुत्र प्रभूलाल तेली निवासी हाट चौक, अटरू जिला बारां को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना क्षेत्र अटरू से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, कवाई जिला बारां को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरुद्ध हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरुद्ध यह आदेश दिनांक 16.10.2024 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना कवाई जिला बारां को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना, अटरू जिला बारां को तहरीर दी जावे जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना अटरू जिला बारां क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना कवाई जिला बारां के सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक **30.09.2024** को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(दिवांशु शर्मा)
अति० जिला मजिस्ट्रेट,
बारां